फा.सं.19030/1/2017-ई.IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

***

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

नई दिल्ली, 15 जून, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता (टीए) का दावा प्रस्तुत करने की समय-सीमा - के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 13.03.2018 के का.ज्ञा. सं. 19030/1/2017-ई.IV का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है, जिसमें दौरे/ स्थानांतरण/ प्रशिक्षण/ सेवानिवृत्ति पर यात्रा के यात्रा भत्ता संबंधी दावों को प्रस्तुत करने की समय-सीमा यात्रा के पूरा होने की तारीख के बाद एक वर्ष से बदलकर साठ दिन कर दी गई थी।

2. इस विभाग में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों दवारा सेवानिवृत्ति के बाद गृहनगर/ बसने के स्थान पर जाने के लिए की गई यात्रा के संबंध में टीए दावों को प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ाने के संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं क्योंकि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को अपनी यात्रा पूरी होने के साठ दिनों की अवधि के भीतर सेवानिवृत्ति पर टीए की प्रतिपूर्ति का दावा करते समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

3. इस विभाग में इस मामले पर विचार किया गया है और इस विभाग के दिनांक 13.03.2018 के समसंख्यक का.ज्ञा. में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्ति पर यात्रा के पूरा होने की तारीख के बाद टीए का दावा प्रस्तुत करने की समय-सीमा 60 दिन से संशोधित करके 180 दिन (छह महीने) की जाए।

4. दौरे, स्थानांतरण और प्रशिक्षण पर टीए दावा प्रस्तुत करने की समय-सीमा 60 दिन रहेगी।

5. ये आदेश इसके जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे। तथापि, उपर्युक्त विषय पर दिनांक 13.03.2018 के का.ज्ञा. के अनुसार 60 दिनों की समय-सीमा के कारण निपटान नहीं किए गए दावों पर संबंधित मंत्रालय/ विभाग दवारा पुनर्विचार किया जा सकता है।

6. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग से संबंधित व्यक्तियों पर इनके लागू होने का संबंध है, ये आदेश संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श के बाद जारी किए जाते हैं।

7. इसे वित्त सचिव और सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

निर्मला देव

(निर्मला देव)
निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि:- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।